

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सं. - 225 वर्ष 2019

लाल जी (मृतक) और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: कैलाश नारायण श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. यह वर्तमान अपील, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा वाद सं०. ओए/II/यू/506/2012 में दिनांक 23.10.2018 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 25.05.2012 को राम कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति रूहेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से सीतापुर से बरेली की यात्रा कर रहा था। दौरान यात्रा, वह दुर्भाग्यपूर्णवश बरेली जंक्शन के पास ट्रेन से गिर गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तत्पश्चात, एक प्राथमिकी दर्ज की गई, तफ्तीश की गई और शव-परीक्षण भी किया गया। मृतक श्री लालजी के पिता ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ के समक्ष एक दावा याचिका दाखिल की थी। दावा याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान, 25.05.2013 को दावाकर्ता की मृत्यु हो गई; इसके बाद उनकी बेटी ने प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया हालाँकि, न्यायाधिकरण ने दिनांक 23.10.2018 के आदेश द्वारा दावा

याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि दावाकर्ता की बेटी, मृत यात्री पर पूर्णतः या अंशतः आश्रित नहीं थी। अपीलकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मृतक के पिता लाल जी ने एक आश्रित के रूप में दावा याचिका दायर की थी। दावा याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान, लाल जी का देहांत हो गया और उनकी एकमात्र कानूनी वारिस, उनकी पुत्री ने, प्रतिस्थापन हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि दावेदार/आश्रित की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति का दावा समाप्त नहीं होता। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील आदेश सं०. 320 वर्ष 2016 (सुनील कुमार बनाम भारत संघ) में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह, अपीलार्थी के उपर्युक्त तर्क का विरोध किया।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह को सुना तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6. यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय लालजी के पुत्र राम कुमार गुप्ता रुहेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से सीतापुर से बरेली की यात्रा कर रहे थे; जब वे बरेली पहुँचने ही वाले थे, तभी वे ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और अंततः चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लालजी (मृतक के पिता), जो कि एक आश्रित थे, द्वारा एक दावा दायर किया गया था। दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान लालजी का भी निधन हो गया, और उसके बाद उनकी एकमात्र पुत्री ने एक प्रतिस्थापन आवेदन दायर किया।

7. अब सवाल यह है कि क्या दावे को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि किसी मृतक का कोई आश्रित जिसने दावा याचिका दायर की थी, उस दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या दावाकर्ता द्वारा दायर किए गए दावे को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है?

8. इस न्यायालय ने **सुनील कुमार** (उपर्युक्त) में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:-

25. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1989 स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि किसी आश्रित द्वारा मुआवज़े का दावा करने का अधिकार, उस आश्रित की मृत्यु हो जाने पर समाप्त या निष्प्रभावी नहीं हो जाता।

9. रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि कार्यवाही में किसी मृत पक्ष के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह इस प्रकार है:-

"26. कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन -- (1) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृत पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि, ऐसी मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, अपना नाम रिकॉर्ड पर दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहाँ उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, वहाँ कार्यवाही समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि, दिखाए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर, न्यायाधिकरण मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है।"

10. नियम 26 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यह आवेदकों द्वारा धारा 125 के अंतर्गत किए गए सभी दावों पर लागू होता है, जिसमें वे आश्रित भी शामिल हैं जो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 125(1)(द) के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, नियम 26, एक पुख्ता संकेत है, कि कानून यह नहीं चाहता था कि

आश्रित/दावेदार की मृत्यु के साथ दावा खत्म हो जाए। यदि नियम 26 के अंतर्गत कानूनी उत्तराधिकारी दावे को जारी रखने के लिए पक्षकार बन सकते हैं और प्रतिस्थापित हो सकते हैं, तो इस सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं हो सकता कि दावा आश्रित/दावेदार के साथ समाप्त हो जाता है या मर जाता है।”

11. उपर्युक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आलोक में, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 23.10.2018 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

12. यह मामला फिर से निर्णय लेने हेतु संबंधित न्यायाधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

13. क्योंकि यह दावा वर्ष 2012 का है, अतः संबंधित न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि वे इस मामले का शीघ्र निपटारा करें।

17 मार्च 2026

सौरभ यादव/-

(प्रशांत कुमार, न्यायाधीश)